

06.12.2022 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त सुनील सिंह बिष्ट को जिला कारागार पौड़ी से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। 59ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 04.01.2023 को पेश हो।

(प्रतिभा तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार गढ़वाल।